

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.2/ई/स्थानां./20/2010/794,
/आदेश/


भोपाल, दिनांक 3/6/10

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम कमांक 6 में अंकित विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स.क.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	यूनिक आई.डी. कमांक	वर्तमान पदस्थापना	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड	स्थानांतरित विकास खण्ड का नाम एवं जिला	विकास खण्ड/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
	श्री सीताराम कोल,	AH6657	विकासखण्ड दमोह	2312030B301	विकास खण्ड जवां रीवा	2314090BSu1
1.	श्री भैयालाल द्विवेदी	AV8677	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बैतूल	2335029ET01	विकास खण्ड उचेहरा जिला सतना	2313080BS02

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/6/10

पृष्ठां. कमांक/स्था.2/ई/स्थानां./20/2010/795,
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला दमोह/रीवा/बैतूल/सतना।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला दमोह/रीवा/बैतूल/सतना।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय सागर/रीवा/भोपाल म.प्र.।
6. जिला कोषालय जिला दमोह/रीवा/बैतूल/सतना।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह/रीवा/बैतूल/सतना की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले, कि स्थानांतरित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में सेवारत है तथा स्थानांतरित विकास खण्ड में पद रिक्त है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये। यदि संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/ई/पदस्थापना/16/2010/796/आदेश/

भोपाल, दिनांक 3/6/10

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के नियुक्ति आदेश दिनांक 04.02.03 तथा जिला शिक्षा केन्द्र होशंगाबाद के आदेश दिनांक 01.08.05 द्वारा आवेदिका को जनपद शिक्षा केन्द्र पिपरिया में महिला ज्येष्ठ समन्वयक पद पर नियुक्त कर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने तथा जिला शिक्षा अधिकारी होशंगाबाद के आदेश दिनांक 30.08.08 के क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित व्याख्याता की पदस्थापना समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कालेम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से कि जाती है।

यह पदस्थापना स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हें किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि के पात्रता नहीं होगी :-

स. क्र.	व्याख्याता का नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड	पदस्थापित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाइस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती गीता साहू गणित	AL9681	शा.दा.उ.मा. वि.सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद	23370677702	शा.क.उ.मा. वि.पिपरिया जिला होशंगाबाद	23370777701

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल, दिनांक 3/6/10

क्र. क्रमांक/स्था.2/ई/16/पदस्थापना/2010/797,
लिपि:-

निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।

कलेक्टर जिला होशंगाबाद ;

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला होशंगाबाद।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय भोपाल म.प्र.।

जिला कोषालय जिला, होशंगाबाद।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला होशंगाबाद की ओर श्रेणित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि संबंधित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है तथा पदस्थापना संस्था में पद रिक्त है। पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाये यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबंधित की ओर सूचनार्थ।

